



CSIR-National Metallurgical Laboratory
(Council of Scientific & Industrial Research)
(Burmamines, Jamshedpur, Jharkhand-831007)

Website-<https://www.nml.res.in>

Helpline:Ph.:0657-2345158 email: recruitment2025@admn.nml.in



RECRUITMENT TO THE POST OF DRIVER

CSIR-NML ADVERTISEMENT NO. 06/2025

Date of publication: 19.11.2025

Last date for receipt of duly filled in hardcopy of applications: 18.12.2025
(Thursday (17:45 hours))

CSIR-National Metallurgical Laboratory (CSIR-NML), a constituent Laboratory of the Council of Scientific & Industrial Research (CSIR) which is an Autonomous Body under Ministry of Science & Technology, Government of India, is an R&D organization dedicated to metallurgical and materials engineering research. With its modern and extensive infrastructure and the large spectrum of expertise of its Scientific and Technical manpower, CSIR-NML is primarily engaged in industrially and socially significant research pursuits align with the national interest and demonstration of high quality science.

CSIR-National Metallurgical Laboratory invites applications from eligible and interested Indian citizens for filling up 01 (one) [UR] vacancy in the post of Driver [in Pay Level – 2 of Pay Matrix] {Group ‘C’ (non-gazetted)} as detailed below:

Post Code	Name of the post	Number of post and reservation	Pay	Essential Qualifications	Upper age limit**	Job description
D-1	Driver	01 (UR)	Pay Level – 2 (Rs.19,900-63,200) [Total Emoluments*: Rs. 36,500/-]	(i) Possession of a valid driving license for LMV & HMV. (ii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in vehicle); (iii) Experience of driving a motor car for at least 3 years; and, (iv) Having passed 10 th standard	27 years	To drive LMV as well as HMV for transporting men and /or materials safely and comfortably and also to keep the vehicle clean, tidy and mechanically roadworthy.

*Total Emoluments means approximate total emoluments per month on minimum of scale including House Rent Allowance (HRA), Transport Allowance as admissible in ‘Y’ class city, as per rule.

**Kindly see relaxation clause for age relaxation to various categories of candidates.

Note:

1. The Director, CSIR-NML reserves the right to cancel the advertisement without assigning any reason thereof or reserves the right not to fill up the post, if required. The number of vacancies indicated above may vary i.e., it may increase or decrease at the time of actual selection. The selection process is subject to the CSIR/GoI instructions prevalent at a given point of time during various stages of selection process.
2. Apart from the job description in the above table, the Competent Authority, CSIR-NML reserves the right to assign any other tasks(s) as deemed **fit from time to time**. The Driver will have to work in odd hours on any given day(s). The Driver is liable to work in shifts and during holidays also.

Abbreviations: **GoI:** Government of India; **UR:** Unreserved; **LMV:** Light Motor Vehicle; **HMV:** Heavy Motor Vehicle

Crucial date for claim of SC/ST/OBC/EWS/PwBD status or any other benefit viz. fee concession, reservation age-relaxation as well as determining the age, qualifications and experience etc., where not specified otherwise, shall be the last date for receipt of applications.

CSIR-NML strives to have a workforce that reflects gender balance and women candidates are encouraged to apply

Selection Process

Shortlisting of applications: A Committee duly constituted by the Director, CSIR-NML, will shortlist the candidates fulfilling the qualifications (s), terms and conditions of this advertisement. The Committee will adopt its own criteria for short listing the candidates to call them for further stage of recruitment process.

Skill Test: The candidates as shortlisted by the Committee will be called for Skill Test which is qualifying in nature.

Competitive Written Test: Those who qualify the Skill Test will be called for Competitive Written Examination.

Scheme and Syllabus of Competitive Written Examination:

Mode of Examination	OMR based or Computer based Objective Type Multiple Choice Examination
Medium of Questions	The questions will be set in both Hindi and English except the question on English language
Standard of Exam	Class 10 th
Total No. of questions	100
Total time allotted	90 minutes

Syllabus of Competitive Written Examination:

Subject	No. of Questions	Maximum Marks	Negative Marks
General Intelligence	25	75 (Three marks for every correct answer)	One negative mark for every wrong answer
Quantitative Aptitude	25	75 (Three marks for every correct answer)	One negative mark for every wrong answer
General Awareness	25	75 (Three marks for every correct answer)	One negative mark for every wrong answer
English Language	25	75 (Three marks for every correct answer)	One negative mark for every wrong answer

Evaluation of Papers and Final merit list: The final merit list will be prepared on the basis of the performance of the candidates in the Competitive Written Examination. The threshold for shortlisting / selection during each stage of selection process will be decided by the Competent Authority, CSIR-NML which will be binding on all the candidates.

Following Methodology for resolution of tie cases wherever two or more candidates have secured equal aggregated marks for the posts of Driver will be treated in order of precedence till tie is resolve:

- Candidate with lesser negative marks, in the Competitive Written Examination, will be placed higher;
- Date of Birth, with older candidate placed higher;
- Candidate acquiring minimum education qualification earlier, placed higher;
- Alphabetical order in which first names of the candidates appear.

The Centre, date and time for Skill Test as well as for Competitive Examination shall be intimated to all the applicants through CSIR-NML web site and e-mail to the e-mail IDs mentioned by the candidates in their respective application forms, well in time.

General Information and Conditions

1. Benefits under Council Service:

- All New Entrants will be governed by the "New Pension Scheme" based on defined Contributions for new entrants recruited in Central Government Services on or after 01.01.2004, as adopted by CSIR for its employees. The entitlement of pension, if any, at CSIR / CSIR-NML under a particular pension scheme of Government of India, in case of persons selected from other Government Departments/Autonomous Bodies/Public Sector Undertakings/Central Universities, will be regulated as per the provisions of CCS (Pension), Rules, 1972 (now-2021).
- The post carries usual allowance i.e., Dearness Allowance (DA), House Rent Allowance (HRA), Transport Allowance (TA) etc. as admissible to the Central Government employees and as made applicable to CSIR. Council employees are also eligible for accommodation of

their entitled type as per CSIR Residence Allotment Rules-2022 depending on availability in that case HRA will not be admissible. The selected candidate will have to stay in CSIR-NML staff quarters, in case the Competent Authority, CSIR-NML desires for so.

- C. In addition to the emoluments indicated above, benefits such as reimbursement of Medical Expenses, Leave Travel Concession, Computer Advance and House Building Advance are available as per CSIR rules.
- D. The normal place of posting is CSIR-NML, Jamshedpur including its centre located in Chennai. However, the appointee can be posted to work in any Section/Division in any of Laboratories / Institutes of CSIR including their field centres/regional centres in any part of India on the discretion of the Competent Authority, CSIR-NML.
- E. CSIR provides career advancement as per rules applicable to this post under Isolated category.
- F. The appointment to the post shall be governed by the provisions of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, as amended from time to time and other service rules, to the extent made applicable to the Council Servant and decision of CSIR on their applicability shall be final and binding.

2. Other Conditions:

- A. The applicant must be a citizen of India.
- B. All applicants must possess the essential qualification of the post and fulfil other conditions stipulated in the advertisement. They are advised to satisfy themselves before applying that they possess at least the minimum essential qualifications laid down for the post which is compulsory even if a candidate has some other higher qualifications. **Enquiries asking for advice regarding eligibility will not be entertained.**
- C. **The experience of driving of motor car for at least three years must have been acquired after obtaining the valid Driving Licence.**
- D. The candidate should, mention in the application all the qualifications and experience, if any, in the relevant area supported by documents and ensure that all details are in full and accurate.
- E. The Competent Authority, CSIR-NML has the right to amend, delete or add terms & conditions to this advertisement.
- F. In respect of the equivalent clause, if a candidate is claiming a particular qualification as equivalent qualification as per the requirement of advertisement, then the candidate is required to produce order/letter in this regard, indicating the Authority (with number and date) under which it has been so treated otherwise the application is liable to be rejected. The decision of the CSIR-NML/ CSIR with regard to equivalence of qualification(s) and about recognition of Universities / Institutes / Boards / Councils shall be final and binding.
- G. If any document/certificate furnished is in a language other than Hindi or English, a transcript of the same either in Hindi or English, duly attested by a Gazetted Officer or Notary is to be submitted also with Application Form.

- H. Date of Birth filled by the candidate in the Application Form must match with the date recorded in Matriculation / Secondary School Certificate. Subsequent request for change in date of birth will not be entertained.
- I. Candidate shall not be reimbursed / paid any Travelling Allowance / Daily Allowance for appearing in Skill Test and / or Competitive Written Examination.
- J. The decision of CSIR-NML/CSIR in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of applications, mode of selection and conduct of examination, venue, date and time of test(s) will be final and binding on the candidates. No enquiry or correspondence will be entertained in this connection from any individual or agency on behalf of the candidate.
- K. **Canvassing in any form and/or bringing any influence, political or otherwise will be treated as a disqualification for the post.**
- L. The selected candidate will be on **probation for two years** from the date of taking over the charge of the post. The probationary period may be extended or curtailed at the discretion of the Competent Authority, CSIR-NML.
- M. Applicants must disclose as to whether any of their close or blood relatives are employees of CSIR-NML or CSIR or any other Laboratory/Institute of CSIR, in the Application Form.
- N. Disqualifications: No person, (a) who has entered into, or contracted a marriage with a person having a spouse living; or (b) who, having a spouse living has entered into, or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the council service provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from operation of this rule.
- O. Provisional candidature: Mere applying for the post against this advertisement does not necessarily amount to, either explicitly or implicitly, selection being actually made. The candidature for Skill Test as well as for Competitive Written Examination will be accepted only provisionally. The selection will be subject to fulfilling all the terms & conditions of the selection process and satisfying all the CSIR / Government of India instructions prevalent at a given point of time during various stages of selection process.
- P. Any further information regarding this advertisement like date, time and venue of tests, addendum/corrigendum or any variation in number of post/cancellation of post etc., will only be made available through CSIR-NML website <https://nml.res.in> Therefore, candidates are advised to keep visiting regularly the website <https://nml.res.in>.
- Q. In case of any variation in Hindi version and English version of this advertisement, the English version shall prevail.
- R. **NO INTERIM ENQUIRY OR CORRESPONDENCE WILL BE ENTERTAINED.**

3. Age Limit & Relaxations:

- A. The upper age limit for the post is 27 years as on the last date of receipt of duly filled in Application Form in CSIR-NML.
- B. Age relaxation for Widows, Divorced Women and Women judicially separated from Husbands who are not remarried: the upper age limit is relaxable up to the age of 35 years. The persons claiming age relaxation under this sub-para would be required to submit following documents along with Application Form:

- I. In case of Widow: Death Certificate of her husband together with an Affidavit that she has not remarried since;
- II. In case of divorced Women and Women judicially separated from their husbands: A certified copy of the judgement / decree of the appropriate Court to prove the fact of divorce or the judicial separation, as the case may be, with an affidavit in respect of divorced Women that they have not remarried since.

C. Concession / relaxation to Persons with Benchmark Disability (PwBD)

1. The post is not identified suitable for the Persons with Benchmark Disability.
2. The appointment in this post will be subject to the selected candidate being found medically fit in accordance with the standards of medical fitness as prescribed/decided by the Government of India / CSIR/CSIR-NML for such post.

D. Concession / relaxation in case of ex-servicemen

1. Relaxation in upper age limit is available to ex-servicemen: 03 years after deduction of the military service rendered from the actual age as on last date of receipt of duly filled in Application Form in CSIR-NML.
2. Ex-Servicemen who have already secured employment in civil side under Government in Group C &/or D posts on regular basis after availing of the benefits of reservation given to ex-servicemen for their re-employment are not eligible for fee concession.
3. The period of "Call up Service" of an Ex-serviceman in the Armed Forces shall also be treated as service rendered in the Armed Forces for purpose of age relaxation as per rules.
4. For any serviceman of the three Armed Forces of the Union to be treated as Ex-Serviceman for the purpose of securing the benefits of reservation, he/she must have already acquired, at the relevant time of submitting his/her application for the Post/Service the status of ex-servicemen or is in a position to establish his/her acquired entitlement by documentary evidence from the Competent Authority that he /she would complete specified term of engagement from the Armed Forces within the stipulated period of one year from the last date of receipt of duly filled in Application Form in CSIR-NML. Such candidates must also acquire the status of an ex-serviceman within the stipulated period of one year from the closing date of receipt of application.
5. The term ex-servicemen will apply to the persons who are defined as ex-servicemen in the Ex-servicemen (Re-employment in Civil Service and Posts) Rules, 1979, as amended from time to time and the instructions issued by the Government vide DoP&T OM No. 36012/3/2021-Estt. (Res.II) dated 27.02.2023, which provides, inter-alia, as under: - "Candidates working in the Armed Forces would become eligible for applying Civil posts only when he completes the prescribed period of Armed Forces Service within a year from the last date of receiving application in connection with Special Recruitment/Examination, etc., prescribed by the Competent Authority. Provided, when selection process takes more than one year, from the last date of receiving of applications, the candidate will not be declared ineligible under Ex-servicemen category only on the ground that he has got himself released from Armed forces after one year from the last date of receiving of application." Such candidates are also required to be in possession of the prescribed certificate and the Undertaking (as at Annexure-II and III of this advertisement), by the last date of receipt of duly filled in Application Form in CSIR-NML.

6. Explanation: An “ex-serviceman” means a person:

- 6.1. Who has served in any rank whether as a combatant or non-combatant in the Regular Army, Navy or Air Force of the Indian Union; and (i) who either has been retired or relieved or discharged from such service whether at his own request or being relieved by the employer after earning his pension; or (ii) who has been relieved from such service on medical grounds attributable to military service or circumstances beyond his control and awarded medical or other disability pension; or (iii). who has been released from such service as a result of reduction in establishment; or
- 6.2. Who has been released from such service after completing the specific period of engagement, otherwise than at his own request, or by way of dismissal, or discharge on account of misconduct or inefficiency and has been given a gratuity, and includes personnel of the Territorial Army namely, pension holders for continuous embodies service or broken spells of qualifying service; or
- 6.3. Personnel of the Army Postal Service who are part of Regular Army and retired from the Army Postal Service without reversion to their parent service with pension, or are released from the Army Postal service on medical grounds attributable to or aggravated by military service or circumstance beyond their control and awarded medial or other disability pension; or
- 6.4. Personnel, who were on deputation in Army Postal Service for more than six months prior to the 14th April, 1987; or
- 6.5. Gallantry award winners of the Armed forces in including personnel of Territorial Army; or
- 6.6. Ex-recruits boarded out or relieved on medical ground and granted medical disability pension. A matriculate Ex-Serviceman (Which includes an Ex-Serviceman, who has obtained the Indian Army Special Certificate of education or corresponding certificate in the Navy or the Air Force), who has put in not less than 15 years of service as on closing date of receipt of applications with the Armed Forces of the Union shall be considered eligible for appointment to the Group “C” posts against posts reserved for ESM only. Thus, those matriculate Ex-Servicemen who have not completed 15 years of service as on the closing date for receipt of applications are not eligible for these posts.
7. Ex-servicemen candidates are required to submit a copy of the certificate in the prescribed format signed by the specified authority valid for appointment of posts under the Central Government, along with the Application Form. The original certificates are to be produced as and when asked for by the Competent Authority, CSIR-NML for verification. The candidature/ appointment of the candidate shall remain provisional till the veracity of this certificate is established.

E. Relaxations are permissible in upper age limit to any other categories as per instruction of GoI/CSIR.

4. How to Apply:

- A. Eligible and interested candidates are required to fill up the hard copy of the Application Form attached with this advertisement. No other mode of application will be considered.**
- B. The application form is attached as Annexure-A to this advertisement which is required to be filled in by the applicant in his/her own handwriting. One Recent Passport size colour photograph must also be affixed at the designated place and signed across by the candidate in the application form. The photograph must not be more than three months old.**
- C. Candidates are required to pay **application fee of Rs.500/-** (five hundred only) by clicking the link through [SB Collect](#) (kindly click on SBI Collect for online payment) → (Govt/PSU/Courts → DIRECTOR NML → Payment Category → Application fee → Type of Application → Regular Appointment]. The candidates belonging to SC/ST/PwBD/Women/CSIR Employees are exempted from payment of application fee. Those Ex-servicemen are also exempted who have not availed benefit of reservation available to ex-servicemen for securing employment in any other Government Department / PSU / Autonomous Body / Local Body etc. After making fee payment, the receipt generated must be preserved for future reference.
- D. Fee once paid will not be refunded on any account nor can it be held in reserve for any other recruitment or selection process.
- E. Only a single application will be entertained from each candidate. IN CASE A CANDIDATE SUBMITS MULTIPLE APPLICATIONS, ONLY THE LATEST DULY FILLED IN APPLICATION WILL BE CONSIDERED.
- F. Candidates should specifically note that the application received after the last date for any reason whatsoever (such as envelopes wrongly addressed, delivered elsewhere, postal delay etc.) will not be entertained by CSIR-NML.
- G. Incomplete application in any way like without signature, photograph and application fee (if applicable), without self-attested enclosures etc., will not be entertained and will be summarily rejected.
- H. In case of Universities/Institutes/Boards/Councils awarding CGPA/SGPA/OGPA grades etc., candidates are requested to convert the same into percentage based on the formula devised by the concerned University/Institute/Boards/Councils and mention accordingly in online application form at the specified places.
- I. Applications from candidates working in Government Departments /Autonomous Bodies /Public Sector Undertakings / Government Funded Research Agencies will be considered along with NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) from present employers. In case, the candidate could not attach the requisite NOC, he/she can enclose the self-attested copy of the request submitted by her/him to the present employer seeking NOC for her / his application against this advertisement. Such candidates must produce the requisite NOC as and when sought by CSIR-NML failing which his/her candidature will be terminated forthwith. The vigilance clearance should also be recorded in the said NOC.
- J. All further announcements regarding names of shortlisted candidates, date and time of tests etc. /other details pertaining to this recruitment process/updates/corrigendum/addendum etc. will be published/provided only on CSIR-NML official website <https://www.nml.res.in> from time to time.

- K. Application Form duly filled in and signed by the candidates on each page along with the documents mentioned at point 'L' below must be sent in an envelope super scribing **APPLICATION FOR THE POST OF "Driver", POST CODE – D-1 Advertisement No. 06/2025** by Speed Post /Courier only to the following address so as to reach on or before 18.12.2025 [17:45 Hrs.] (Thursday):

**Controller of Administration
CSIR-National Metallurgical Laboratory
Post-Burma mines
Jamshedpur-831007
Jharkhand.**

No other mode of application / receipt of application will be entertained.

L. The following documents are required to be attached along with the application form.

- i. 10th / Matriculation / Secondary certificate & marks sheet
- ii. Driving Licence valid for driving LMV & HMV
- iii. Experience certificate
- iv. Copy of exam fee payment receipt, wherever applicable
- v. Other Educational Qualification Certificate/s, if any
- vi. Order/ letter in respect of equivalent Educational Qualifications claimed, indicating the Authority (with number and date) under which it has been so treated, in respect of equivalent clause in Essential Qualifications, if a candidate is claiming a particular qualification as equivalent qualification.
- vii. Caste/ Category Certificate, if belongs to exempted categories like SC / ST (as per **Annexure-I**)
- viii. For Ex-Servicemen (ExSM):
 - (a) Undertaking as per **Annexure-II**
 - (b) Serving Defence Personnel Certificate as per **Annexure-III**, if applicable
 - (c) Discharge Certificate / PPO, if discharged from the Armed Forces
- ix. Relevant certificate if seeking any age relaxation
- x. No Objection Certificate, in case already employed in Government Department / Government undertakings / Autonomous Bodies / CSIR or its Labs / Institutes/PSU/Local Bodies.
- xi. A candidate who claims change in name after matriculation on marriage or remarriage or divorce, etc. the following documents are also required to be submitted along with online application:
 - (a) In case of marriage of women: Photocopy of Husband's passport showing names of spouses or an attested copy of marriage certificate issued by the Registrar of Marriage or an Affidavit from husband and wife along with a joint photograph duly sworn before the Oath Commissioner;
 - (b) In case of re-marriage of women: Divorce Deed/Death certificate, as the case may be, in respect of first spouse; and photocopy of present husband's passport showing names of spouse or an attested copy of marriage certificate issued by the Registrar of Marriage or an Affidavit from the husband and wife along with joint photograph duly sworn before the Oath Commissioner;
 - (c) In case of divorce of women: Certified copy of Divorce Decree and Deed Poll/ Affidavit duly sworn before the Oath Commissioner;
 - (d) In other circumstances for change of name for both male and female: Deed Poll/Affidavit duly sworn before the Oath Commissioner and paper cuttings of two

leading daily newspapers in original (One daily newspaper should be of the area of applicant's permanent and present address or nearby area) and Gazette Notification.

6. ACTION AGAINST CANDIDATES FOUND GUILTY OF MISCONDUCT/ USE OF UNFAIR MEANS

Candidates are advised in their own interest that they should not furnish any particulars that are false, tampered with or fabricated and should not suppress any material information while filling-up the Application Form. At the time of skill test / written examination or in a subsequent selection procedure or even after selection/appointment to the post, if a candidate is (or has been) found guilty of;

- a. Using unfair means; or
- b. Impersonating or procuring impersonation by any person; or
- c. Misbehaving in the examination/ skill test venue or disclosing, publishing, reproducing, transmitting, storing or facilitating transmission and storage of contents of the test(s) or any information therein in whole or part thereof in any form or by any means, verbal or written, electronically or mechanically for any purpose; or
- d. Resorting to any irregular or improper means in connection with his/ her candidature; or
- e. Obtaining support for his/ her candidature by unfair means; or
- f. Carrying mobile phones or similar electronic devices of communication in the examination/ test venue, such a candidate may, in addition to rendering himself/ herself liable to criminal prosecution, be liable:
 - (i) to be disqualified from the examination for which he/ she is a candidate
 - (ii) to be debarred either permanently or for a specified period from any examination conducted by the CSIR or its Institute/Labs:
 - (iii) for termination of service, if he/ she already joined in Council service.
- g. The Competent Authority, CSIR-NML may also report the matter to Police/ Investigating Agencies, as deemed fit and the Competent Authority may also take appropriate action to get the matter examined by the authorities/ forensic experts concerned.

Controller of Administration

FORMAT FOR SC/ ST CERTIFICATE

(The format of the certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under Government of India)

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari* _____
son/daughter _____ of _____ of
village/town* _____ in District/Division * _____ of the
State/Union Territory* _____ belongs to the Caste/Tribes _____ which
is recognized as a Scheduled Castes/Scheduled Tribes* under:-

The Constitution (Scheduled Castes) order, 1950 _____
The Constitution (Scheduled Tribes) order, 1950 _____
The Constitution (Scheduled Castes) Union Territories order, 1951 *
_____ The Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories Order,
1951* _____

As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists(Modification) order, 1956, the Bombay Reorganization Act, 1960 & the Punjab Reorganization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act 1970, the North-Eastern Area(Reorganization) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order(Amendment) Act, 1976.

The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956 _____
The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes order (Amendment Act), 1976*.

The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes order 1962.

The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order 1962@.

The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order 1964@

The Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967 @

The Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Castes Order, 1968@

The Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Tribes Order 1968 @

The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970 @

The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order 1978@

The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order 1978@

The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order 1989@

The Constitution (SC) orders (Amendment) Act, 1990@

The Constitution (ST) orders (Amendment) Ordinance 1991@

The Constitution (ST) orders (Second Amendment) Act, 1991@

The Constitution (ST) orders (Amendment) Ordinance 1996@

The Scheduled Caste and Scheduled Tribe Orders (Amendment) Act 2002@

The Constitution (Scheduled Caste) Orders(Amendment) Act 2002@

The Constitution(Scheduled Caste and Scheduled Tribe) Orders (Amendment) Act 2002@

The Constitution (Scheduled Caste) Order (Amendment) Act 2007@

%2. Applicable in the case of Scheduled Castes, Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration.

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes certificate issued to Shri/Shrimati _____ Father/mother of

Shri/Shrimati/Kumari* _____ of
village/town* _____ in District/Division* _____ of
the State/Union Territory* _____ who belong to the
_____ Caste/Tribe which is recognized as a Scheduled
Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* issued by
the _____ dated _____.

%3. Shri/Shrimati/Kumari and /or * his/her family ordinarily reside(s) in
village/town* _____ of _____
District/Division* _____ of the State/Union Territory of

Signature _____
** Designation _____
(with seal of office)

Place _____
Date _____

* Please delete the words which are not applicable

@ Please quote specific presidential order

% Delete the paragraph which is not applicable.

NOTE: The term ordinarily reside(s) used here will have the same meaning as in
section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

**** List of authorities empowered to issue Caste/Tribe Certificates:**

- (i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy
Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Dy. Collector/Ist Class
Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate/Extra-Assistant
Commissioner/Taluka Magistrate/Executive Magistrate.
- (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency
Magistrate/Presidency Magistrate.
- (iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
- (iv) Sub-Divisional Officers of the area where the candidate and/or his family
normally resides.

NOTE: ST candidates belonging to Tamil Nadu State should submit caste certificate
ONLY FROM THE REVENUE DIVISIONAL OFFICER.

UNDERTAKING TO BE GIVEN BY THE EX-SERVICEMEN

I, bearing Roll No....., appearing for the Document Verification of the Examination, 20....., do hereby undertake that:

- a. I am entitled to the benefits admissible to Ex-Servicemen in terms of the Ex-Servicemen Re-employment in Central Civil Services and Posts Rules, 1979, as amended from time to time.
- b. I have not joined the Government job on civil side (including Public Sector Undertakings, Autonomous Bodies/ Statutory Bodies, Nationalized Banks, etc.) in Group 'C' and 'D' posts on regular basis after availing of the benefits of reservation given to ex-serviceman for re-employment; or
- c. I have availed the benefit of reservation as ex-serviceman for securing Government job on civil side. I have joined ason..... in the office of I hereby undertake that I have submitted the self-declaration/ undertaking to my current employer about date wise detail of the application for the above mentioned examination for which I had applied for before joining the present civil employment; or
- d. I have availed the benefit of reservation as ex-serviceman for securing Government job on civil side. I have joined ason..... in the office of Therefore, I am eligible for age-relaxation only;

I hereby declare that the above statements are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature/ appointment is liable to be cancelled/ terminated.

Signature:

Name:

Roll Number:

Date:

Date of appointment in Armed Forces:

Date of Discharge:

Last Unit/ Corps:

Mobile Number:

Email ID:

Annexure – III

Certificate for serving Defence Personnel

I hereby certify that, according to the information available with me (No.) _____ (Rank) _____ (Name) _____ is due to complete the specified term of his engagement with the Armed Forces on the (Date) _____.

(Signature of Commanding Officer)
Office Seal

Place:

Date:





सी.एस.आई.आर.-राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला

(वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद)
(बर्मागाँव, जमशेदपुर, झारखंड-831007)

वेबसाइट-<https://www.nml.res.in>



हेल्पलाइन: फ़ोन: 0657-2345158 ईमेल: recruitment2025@admn.nml.in

चालक के पद पर भर्ती

सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. विज्ञापन संख्या 06/2025

प्रकाशन तिथि: 19.11.2025

विधिवत रूप से भरे हुए आवेदन-पत्र (हार्ड कॉपी) की प्राप्ति की अंतिम तिथि :
दिनांक : 18 दिसम्बर, 2025 (अपराह्न 17:45 बजे तक)

सी.एस.आई.आर.-राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (एन.एम.एल.), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) की एक घटक प्रयोगशाला है, जो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। यह धातुकर्म और सामग्री इंजीनियरिंग अनुसंधान के लिए समर्पित एक अनुसंधान एवं विकास संगठन है। अपने आधुनिक और व्यापक बुनियादी ढांचे और वैज्ञानिक एवं तकनीकी जनशक्ति की विशेषज्ञता के बड़े स्पेक्ट्रम के साथ, सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. मुख्य रूप से राष्ट्रीय हित और उच्च गुणवत्ता वाले विज्ञान के प्रदर्शन के साथ औद्योगिक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण अनुसंधान गतिविधियों में लगा हुआ है।

सीएसआईआर-राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, नीचे उल्लिखित विवरणानुसार, चालक (Driver) के पद पर 01 (एक) [अना.] रिक्ति को वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर - 2 में (समूह 'ग' (गैर-राजपत्रित)) को भरने हेतु योग्य एवं इच्छुक भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करती है:

पोस्ट कोड	पद का नाम	पदों की संख्या और आरक्षण	वेतन	आवश्यक योग्यताएं	ऊपरी आयु सीमा**	पद का कार्य-विवरण
डी-1	चालक	01 (अनारक्षित)	वेतन स्तर - 2 (रु.19,900-63,200) [कुल परिलब्धियाँ*: रु. 36,500/-]	(i) हल्के मोटर वाहन एवं भारी मोटर वाहन के लिए मान्य ड्राइविंग लाइसेंस का होना। (ii) मोटर तंत्र का ज्ञान (अभ्यर्थी को वाहन में छोटे-मोटे दोषों को दूर करने में सक्षम होना चाहिए)। (iii) कम से कम 3 वर्षों का मोटर कार चलाने का अनुभव; एवं (iv) 10 ^{वीं} कक्षा उत्तीर्ण	27 वर्ष	हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) एवं भारी मोटर वाहन (एचएमवी) का संचालन कर व्यक्तियों एवं/या सामग्रियों का सुरक्षित एवं सुविधाजनक परिवहन सुनिश्चित करना, साथ ही वाहन को स्वच्छ, व्यवस्थित एवं यांत्रिक दृष्टि से सुचारु स्थिति में बनाए रखना।

* कुल परिलब्धियों का अर्थ है नियमानुसार 'वाई' श्रेणी के शहर में स्वीकार्य मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता सहित न्यूनतम वेतनमान पर प्रति माह अनुमानित कुल परिलब्धियां।

** कृपया विभिन्न श्रेणियों के उम्मीदवारों को आयु में छूट के लिए छूट खंड देखें।

टिप्पणी:

1. निदेशक, सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल., बिना कोई कारण बताए विज्ञापन रद्द करने या आवश्यकता पड़ने पर पद न भरने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। ऊपर दर्शाई गई रिक्तियों की संख्या भिन्न हो सकती है, अर्थात् वास्तविक चयन के समय इसमें वृद्धि या कमी हो सकती है। चयन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान किसी निश्चित समय पर लागू सीएसआईआर/भारत सरकार के निर्देशों के अधीन है।
2. उपर्युक्त तालिका में वर्णित कार्य के अलावा, सक्षम प्राधिकारी, सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. के पास अपनी सुविधा अनुसार समय-समय पर कोई अन्य कार्य सौंपने का अधिकार सुरक्षित है। चालक को किसी भी दिन विषम समय में काम करना होगा। चालक को पाली में और छुट्टियों के दौरान भी काम करना पड़ सकता है।

संक्षिप्त रूप: जी.ओ.आई.: भारत सरकार; अना.: अनारक्षित; एल.एम.वी.: हल्का मोटर वाहन; एच.एम.वी.: भारी मोटर वाहन

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / दिव्यांगजन की स्थिति अथवा किसी अन्य लाभ जैसे – शुल्क में छूट, आरक्षण, आयु में छूट, आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव आदि का निर्धारण, जहाँ अन्यथा निर्दिष्ट न हो, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आधार मानकर किया जाएगा।

सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. का प्रयास है कि ऐसा कार्यबल हो जो लैंगिक संतुलन को प्रतिबिंबित करे और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

चयन प्रक्रिया

आवेदनों का संक्षिप्त सूचीकरण: सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. के निदेशक द्वारा विधिवत् गठित की गई समिति, इस विज्ञापन में निर्दिष्ट योग्यताओं, नियमों एवं शर्तों की पूर्ति करने वाले अभ्यर्थियों का संक्षिप्त सूचीकरण (शॉर्टलिस्टिंग) करेगी। अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के आगामी चरण के लिए आमंत्रित करने हेतु समिति अपने विवेकानुसार उपयुक्त मानदंड अपनाने के लिए स्वतंत्र होगी।

कौशल परीक्षण: समिति द्वारा सूचिकृत अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जो अर्हक प्रकृति की होगी।

प्रतियोगी लिखित परीक्षा: कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को प्रतियोगी लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।

प्रतियोगी लिखित परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम:

परीक्षा का तरीका	ओ.एम.आर. आधारित या कंप्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय परीक्षा
प्रश्नों का माध्यम	अंग्रेजी भाषा से संबंधित प्रश्न को छोड़कर, अन्य सभी प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी – दोनों भाषाओं में तैयार किए जाएंगे।
परीक्षा का स्तर	10 ^{वीं} कक्षा
प्रश्नों की कुल संख्या	100
कुल आवंटित समय	90 मिनट

प्रतियोगी लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम:

विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	नकारात्मक अंक
सामान्य बुद्धि	25	75 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक
संख्यात्मक अभिरुचि	25	75 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक
सामान्य जागरूकता	25	75 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक
अंग्रेजी भाषा	25	75 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक

प्रश्नपत्रों का मूल्यांकन और अंतिम मेधा सूची: प्रतियोगी लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी। चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में शॉर्टलिस्टिंग/चयन की सीमा सक्षम प्राधिकारी, सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. द्वारा तय की जाएगी, जो सभी उम्मीदवारों के लिए अंतिम रूप से बाध्यकारी होगी।

चालक पद के लिए, यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के कुल अंक समान हों, तो अंकों की समानता (Tie) की स्थिति में वरीयता निर्धारण की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी:

- I. प्रतियोगी लिखित परीक्षा में जिस अभ्यर्थी के ऋणात्मक (नकारात्मक) अंक कम होंगे, उसे उच्च वरीयता दी जाएगी।
- II. यदि समानता बनी रहती है, तो आयु में बड़े (ज्येष्ठ) अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।
- III. यदि समानता फिर भी बनी रहती है, तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पहले प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उच्च स्थान दिया जाएगा।
- IV. यदि समानता उपर्युक्त सभी आधारों पर बनी रहती है, तो अभ्यर्थियों के प्रथम नाम के वर्णक्रम (Alphabetical Order) के अनुसार वरीयता निर्धारित की जाएगी।

कौशल परीक्षा तथा प्रतियोगी परीक्षा के केंद्र, तिथि एवं समय की सूचना सभी अभ्यर्थियों को सीएसआईआर-एनएमएल की वेबसाइट तथा उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित ई-मेल पते पर ई-मेल के माध्यम से समुचित समय पूर्व उपलब्ध कराई जाएगी।

सामान्य जानकारी और शर्तें

1. परिषद सेवा के अंतर्गत लाभ:

- A.** सभी नये नियुक्त अभ्यर्थी "नई पेंशन योजना" के अंतर्गत शासित होंगे। यह योजना परिभाषित अंशदान पर आधारित है तथा इसे भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.01.2004 या उसके पश्चात् केंद्रीय सरकारी सेवाओं में नियुक्त कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है, जिसे परिषद (सीएसआईआर) ने भी अपने कर्मचारियों के लिए अपनाया है। भारत सरकार के अन्य विभागों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों अथवा केंद्रीय विश्वविद्यालयों से चयनित उम्मीदवारों के संबंध में, सीएसआईआर या सीएसआईआर-एनएमएल में किसी विशेष पेंशन योजना के अंतर्गत देय पेंशन (यदि कोई हो) का निर्धारण **केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (संशोधित 2021)** के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
- B.** इस पद के साथ सामान्य भत्ते जैसे कि **महंगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता (एचआरए), परिवहन भत्ता (टीए)** आदि, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय भत्तों के समान, सीएसआईआर पर लागू नियमों के अनुसार प्रदान किए जाएंगे। परिषद के कर्मचारी **सीएसआईआर आवास आवंटन नियम-2022** के अनुसार, उपलब्धता के आधार पर, अपने पात्र श्रेणी के अनुसार आवास के लिए भी पात्र होंगे, ऐसी स्थिति में **मकान किराया भत्ता (एचआरए)** देय नहीं होगा। यदि **सक्षम प्राधिकारी, सीएसआईआर-एनएमएल** इसकी आवश्यकता समझे, तो चयनित अभ्यर्थी के लिए **सीएसआईआर-एनएमएल स्टाफ क्वार्टर में निवास करना अनिवार्य** होगा।
- C.** ऊपर दर्शाए गए परिलब्धियों के अतिरिक्त, सीएसआईआर के नियमों के अनुसार चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा रियायत, कंप्यूटर अग्रिम और गृह निर्माण अग्रिम जैसे लाभ भी उपलब्ध हैं।
- D.** इस पद का सामान्य कार्यस्थल **सीएसआईआर-एनएमएल, जमशेदपुर**, जिसमें चेन्नई स्थित इसका केन्द्र भी शामिल है, होगा। हालांकि, नियुक्त व्यक्ति को **सीएसआईआर के किसी भी प्रयोगशाला/संस्थान के किसी भी अनुभाग/विभाग** में, उनके फील्ड सेंटर्स/क्षेत्रीय केन्द्रों सहित, भारत के किसी भी भाग में कार्य हेतु स्थानांतरित किया जा सकता है, यह निर्णय **सीएसआईआर-एनएमएल के सक्षम प्राधिकारी** के विवेक पर निर्भर करेगा।
- E.** सीएसआईआर पृथक श्रेणी के अंतर्गत इस पद के लिए लागू नियमों के अनुसार कैरियर उन्नति प्रदान करता है।
- F.** पद पर नियुक्ति समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 तथा अन्य सेवा नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होगी, जो परिषद् सेवक पर लागू होंगे तथा उनकी प्रयोज्यता के संबंध में सीएसआईआर का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

2. अन्य शर्तें:

- A. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- B. सभी आवेदकों के पास पद के लिए आवश्यक योग्यताएँ होनी चाहिए और विज्ञापन में निर्धारित अन्य शर्तें पूरी करनी होंगी। उन्हें सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनके पास पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आवश्यक योग्यताएँ हैं, जो कि अनिवार्य हैं, भले ही उम्मीदवार के पास कोई अन्य उच्च योग्यताएँ हों। **पात्रता के संबंध में सलाह मांगने वाली पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।**
- C. मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही अर्जित किया जाना चाहिए।
- D. उम्मीदवार को अपने आवेदन में संबंधित क्षेत्र में अपनी सभी योग्यताएँ और अनुभव (यदि कोई हों) दस्तावेजों के साथ स्पष्ट रूप से उल्लेख करने होंगे और यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी विवरण पूर्ण और सही हों।
- E. सक्षम प्राधिकारी, सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. को इस विज्ञापन में नियम व शर्तों को संशोधित करने, हटाने या जोड़ने का अधिकार है।
- F. समकक्षता से संबंधित, यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन में वर्णित आवश्यकता के अनुसार किसी विशेष योग्यता को समकक्ष योग्यता के रूप में मानने का दावा करता है, तो उसे इस संदर्भ में संबंधित आदेश/पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें उस प्राधिकरण का विवरण (संख्या एवं तिथि सहित) दिया गया हो जिसके तहत इसे समकक्ष माना गया है। अन्यथा, आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है। योग्यता की समकक्षता और विश्वविद्यालयों / संस्थानों / बोर्डों / परिषदों की मान्यता के संबंध में **सीएसआईआर-एनएमएल / सीएसआईआर** का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- G. यदि प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज/प्रमाणपत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, तो उसका हिंदी या अंग्रेजी में प्रतिलेख, राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित करके आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- H. आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा अंकित **जन्म तिथि** अनिवार्य रूप से उस जन्म तिथि के अनुरूप होनी चाहिए जो उनके **मैट्रिकुलेशन / माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र** में दर्ज है। जन्म तिथि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अथवा संशोधन करने का कोई अनुरोध बाद में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- I. अभ्यर्थी को कौशल परीक्षण और/या प्रतियोगी लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए किसी भी यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते की प्रतिपूर्ति/भुगतान नहीं किया जाएगा।
- J. पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन और परीक्षा के संचालन का तरीका, परीक्षा स्थल से संबंधित सभी मामलों में **सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल./सीएसआईआर** का निर्णय अंतिम और

अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा। इस संबंध में अभ्यर्थी की ओर से किसी भी व्यक्ति या एजेंसी से कोई पूछताछ या पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

K. किसी भी रूप में प्रचार करना और/या किसी भी प्रकार का राजनीतिक या अन्य प्रभाव डालना पद के लिए अयोग्यता माना जाएगा।

L. चयनित उम्मीदवार को पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा अवधि (Probation Period) पर रखा जाएगा। यह परीक्षा अवधि सीएसआईआर-एनएमएल की सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है।

M. आवेदकों को आवेदन पत्र में यह बताना होगा कि क्या उनका कोई करीबी या रक्त संबंधी सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. या सीएसआईआर या सीएसआईआर की किसी अन्य प्रयोगशाला/संस्थान का कर्मचारी है।

N. निरर्हताएँ: कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों में परिषद् सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा –

- 1) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो, जिसका पति/पत्नी जीवित हो; या
- 2) जिसका स्वयं का पति/पत्नी जीवित हो और उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो।

परंतु, यदि केंद्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह संबंधित व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य युक्तिसंगत आधार विद्यमान हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट प्रदान कर सकती है।

O. अस्थायी उम्मीदवारता: इस विज्ञापन के अंतर्गत दिए गए पद के लिए केवल आवेदन करने मात्र से, स्पष्ट रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, चयन हो जाना आवश्यक नहीं है। कौशल परीक्षा और प्रतियोगी लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारी केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। चयन प्रक्रिया के सभी नियमों और शर्तों को पूरा करने और चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान किसी निश्चित समय पर लागू सीएसआईआर/भारत सरकार के सभी निर्देशों को पूरा करने पर ही चयन होगा।

P. इस विज्ञापन से संबंधित कोई भी अन्य जानकारी जैसे परीक्षा की तिथि, समय और स्थान, परिशिष्ट/शुद्धिपत्र या पदों की संख्या में कोई परिवर्तन/पदों का निरस्तीकरण आदि केवल सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. वेबसाइट के माध्यम से ही उपलब्ध कराई जाएगी। <https://nml.res.in> इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें <https://nml.res.in>.

Q. इस विज्ञापन के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण में किसी भी प्रकार का अंतर होने पर अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

R. किसी भी अंतरिम पूछ-ताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. आयु सीमा एवं छूट:

- A.** सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. में विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक पद के लिए ऊपरी आयु सीमा 27 वर्ष है।
- B.** विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और न्यायिक रूप से अपने पति से अलग रह रही महिलाओं, जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है, के लिए आयु सीमा में छूट: ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष तक की छूट योग्य है। इस उप-अनुच्छेद के अंतर्गत आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले व्यक्तियों को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे:
- I. विधवा के मामले में: उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र कि उसने उसके बाद से पुनर्विवाह नहीं किया है;
 - II. तलाकशुदा महिलाओं और अपने पतियों से न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाओं के मामले में: तलाक या न्यायिक पृथक्करण के तथ्य को साबित करने के लिए उपयुक्त न्यायालय के निर्णय/डिक्री की प्रमाणित प्रति, जैसा भी मामला हो, तलाकशुदा महिलाओं के संबंध में एक शपथ पत्र के साथ कि उन्होंने उसके बाद से पुनर्विवाह नहीं किया है।
- C. बेंचमार्क विकलांगता (PwBD) वाले व्यक्तियों को रियायत/छूट**
1. यह पद बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है।
 2. इस पद पर नियुक्ति इस शर्त पर होगी कि चयनित अभ्यर्थी भारत सरकार/सीएसआईआर/सीएसआईआर -एन.एम.एल. द्वारा ऐसे पद के लिए निर्धारित चिकित्सा योग्यता के मानकों के अनुसार चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ पाया जाएगा।
- D. पूर्व सैनिकों के मामले में रियायत/छूट**
1. सेवानिवृत्त सैनिकों (Ex-Servicemen) के लिए उच्च आयु सीमा में छूट: सेवानिवृत्त सैनिकों को उच्च आयु सीमा में अधिकतम तीन वर्ष तक की रियायत प्रदान की जाएगी। यह रियायत उनकी वास्तविक आयु से उनके द्वारा की गई सैन्य सेवा की अवधि घटाने के उपरांत निर्धारित की जाएगी। यह गणना सीएसआईआर-एनएमएल में विधिवत भरे हुए आवेदन-पत्र की प्राप्ति की अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी।
 2. ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो पूर्व सैनिकों को पुनर्नियुक्ति के लिए दिए गए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के बाद नियमित आधार पर सरकार के अधीन ग्रुप सी/एवं/डी पदों पर सिविल सेवा में पहले ही रोजगार प्राप्त कर चुके हैं, वे शुल्क में रियायत के लिए पात्र नहीं हैं।
 3. सशस्त्र बलों में भूतपूर्व सैनिक की "कॉल अप सेवा" की अवधि को भी नियमों के अनुसार आयु में छूट के प्रयोजन के लिए सशस्त्र बलों में प्रदान की गई सेवा के रूप में माना जाएगा।

4. आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक को भूतपूर्व सैनिक माना जाने के लिए, उसे पद/सेवा के लिए आवेदन जमा करते समय पूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त कर लेना चाहिए या वह सक्षम प्राधिकारी से दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा अपनी अर्जित पात्रता को सिद्ध करने की स्थिति में हो कि वह सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. में विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं में सेवा की निर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेगा/लेगी। ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा भी प्राप्त कर लेना चाहिए।

5. भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवा और पदों में पुनर्नियोजन) नियम, 1979, समय-समय पर संशोधित और सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार DoP&T के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/3/2021-स्था. (Res.II) दिनांक 27.02.2023 में भूतपूर्व सैनिकों के रूप में परिभाषित किया गया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार प्रदान करता है: - "सशस्त्र बलों में काम करने वाले उम्मीदवार सिविल पदों पर आवेदन करने के लिए तभी पात्र होंगे जब वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विशेष भर्ती/परीक्षा आदि के संबंध में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर सशस्त्र बल सेवा की निर्धारित अवधि पूरी कर लेंगे। बशर्ते, जब चयन प्रक्रिया आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष से अधिक समय लेती है, तो उम्मीदवार को केवल इस आधार पर भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा कि उसने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के बाद खुद को सशस्त्र बलों से मुक्त कर लिया है।" ऐसे उम्मीदवारों के पास सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. में विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम तिथि तक (इस विज्ञापन के अनुलग्नक- II और III के अनुसार) निर्धारित प्रमाण पत्र और अंडरटेकिंग होना आवश्यक है।

6. **स्पष्टीकरण: "सेवानिवृत्त सैनिक" (Ex-Serviceman)** से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है, जो —:

- 6.1. जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना या वायुसेना में लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो; और (i) जो या तो अपने अनुरोध पर या पेंशन प्राप्त करने के बाद नियोक्ता द्वारा सेवामुक्त किए जाने पर ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त या कार्यमुक्त या सेवामुक्त किया गया हो; या (ii) जो सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो और उसे चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन दी गई हो; या (iii) जो प्रतिष्ठान में कटौती के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो; या
- 6.2. जो नियुक्ति की विशिष्ट अवधि पूरी करने के पश्चात ऐसी सेवा से अपने स्वयं के अनुरोध के अलावा, या कदाचार या अकुशलता के कारण बर्खास्तगी या सेवामुक्ति के माध्यम से मुक्त किया गया है और उसे ग्रेच्युटी दी गई है, और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं, अर्थात् निरंतर सेवा या अर्हक सेवा के खंडित दौर के लिए पेंशन धारक; या
- 6.3. सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना का हिस्सा हैं और पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में वापस आए बिना सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, या सैन्य सेवा या उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण या उनके कारण उत्पन्न चिकित्सा आधार पर सेना डाक सेवा से मुक्त हुए हैं और जिन्हें चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन दी गई है; या
- 6.4. वे कर्मी, जो 14 अप्रैल, 1987 से पहले छह महीने से अधिक अवधि के लिए सेना डाक सेवा में डेप्यूटेशन पर रहे थे; या

- 6.5 प्रादेशिक सेना के कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता; या
- 6.6 चिकित्सीय कारणों से सेवा से मुक्त या बोर्ड आउट किए गए और जिन्हें चिकित्सीय अक्षमता पेंशन प्रदान की गई हो। एक मैट्रिकुलेट भूतपूर्व सैनिक (जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक भी शामिल है, जिसने भारतीय सेना का विशेष शिक्षा प्रमाणपत्र या नौसेना/वायु सेना में समकक्ष प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो), जिसने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक संघीय सशस्त्र बलों में न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, केवल भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित समूह “ग” पदों के लिए नियुक्ति हेतु पात्र माना जाएगा। इस प्रकार, वे मैट्रिकुलेट भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की, वे इन पदों के लिए अयोग्य होंगे।
7. भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ केंद्र सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति हेतु मान्य, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन हेतु मांगे जाने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। इस प्रमाण पत्र की सत्यता स्थापित होने तक उम्मीदवार की उम्मीदवारी/नियुक्ति अनंतिम रहेगी।
- E. भारत सरकार/सीएसआईआर के निर्देशानुसार कुछ अन्य श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट स्वीकार्य है।

4. आवेदन कैसे करें:

- A. पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थियों को इस विज्ञापन के साथ संलग्न आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी भरनी होगी। आवेदन के किसी अन्य तरीके पर विचार नहीं किया जाएगा।
- B. आवेदन पत्र अनुलग्नक-A के रूप में संलग्न है, जिसे आवेदक को स्वयं अपनी हस्तलिपि में भरना होगा। आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर एक नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ भी चिपकाना होगा और अभ्यर्थी द्वारा उस पर हस्ताक्षर भी करने होंगे। फोटोग्राफ तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
- C. उम्मीदवारों को एसबी कलेक्ट के माध्यम से लिंक पर क्लिक करके 500/- (मात्र पाँच सौ रुपये) का आवेदन शुल्क देना होगा (कृपया ऑनलाइन भुगतान के लिए [SB Collect](#) पर क्लिक करें)।
➡ सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/न्यायालय ➡ निदेशक (एनएमएल) ➡ भुगतान श्रेणी: ➡ आवेदन शुल्क, ➡ आवेदन का प्रकार: ➡ नियमित नियुक्ति। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग/महिला/सीएसआईआर कर्मचारी वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। उन पूर्व सैनिकों को भी आवेदन शुल्क से छूट दी गई है जिन्होंने किसी अन्य सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय/स्थानीय निकाय आदि में रोजगार प्राप्त करने के लिए पूर्व सैनिकों को उपलब्ध आरक्षण का लाभ नहीं उठाया है। शुल्क भुगतान के बाद, प्राप्त रसीद को भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखना होगा।
- D. एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य भर्ती या चयन प्रक्रिया के लिए आरक्षित रखा जा सकता है।

- E. प्रत्येक अभ्यर्थी से केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करता है, तो केवल नवीनतम एवं पूर्णतः भरे हुए आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे।
- F. अभ्यर्थियों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी कारण से अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन (जैसे लिफाफे पर गलत पता लिखा होना, अन्यत्र वितरित होना, डाक में देरी आदि) पर सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
- G. किसी भी तरह से अपूर्ण आवेदन जैसे हस्ताक्षर, फोटो और आवेदन शुल्क (यदि लागू हो) के बिना, स्व-सत्यापित संलग्नकों के बिना, स्वीकार नहीं किया जाएगा और उसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
- H. विश्वविद्यालयों/संस्थानों/बोर्डों/परिषदों द्वारा सीजीपीए/एसजीपीए/ओजीपीए ग्रेड आदि प्रदान करने के मामले में, अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्डों/परिषदों द्वारा तैयार किए गए फार्मूले के आधार पर इसे प्रतिशत में परिवर्तित करें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थानों पर तदनुसार उल्लेख करें।
- I. सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सरकारी वित्तपोषित अनुसंधान एजेंसियों में कार्यरत उम्मीदवारों के आवेदनों पर वर्तमान नियोक्ताओं से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के साथ विचार किया जाएगा। यदि उम्मीदवार अपेक्षित एनओसी संलग्न नहीं कर पाते हैं, तो वे इस विज्ञापन के अंतर्गत अपने आवेदन हेतु एनओसी प्राप्त करने हेतु वर्तमान नियोक्ता को प्रस्तुत किए गए अनुरोध की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न कर सकते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. द्वारा मांगे जाने पर अपेक्षित एनओसी प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी तत्काल समाप्त कर दी जाएगी। उक्त एनओसी में सतर्कता मंजूरी भी दर्ज की जानी चाहिए।
- J. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के नाम, परीक्षा की तिथि, समय आदि से संबंधित सभी सूचनाएँ तथा इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अन्य विवरण, अद्यतन, घोषणाएँ, निर्देश आदि समय-समय पर केवल सीएसआईआर-एनएमएल की आधिकारिक वेबसाइट <https://www.nml.res.in> पर प्रकाशित किए जाएंगे।
- K. आवेदन पत्र को प्रत्येक पृष्ठ पर उम्मीदवारों द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए, साथ ही नीचे बिंदु 'एल' में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ एक लिफाफे में "डाइवर के पद के लिए आवेदन", पोस्ट कोड - डी -1 विज्ञापन संख्या 06/2025' लिखकर स्पीड पोस्ट / कूरियर द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजा जाना चाहिए ताकि 18.12.2025 [17:45 बजे] (गुरुवार) तक पहुंच सके:

प्रशासन नियंत्रक,

सीएसआईआर-राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला,

बर्मागाँव, जमशेदपुर, झारखंड - 831007.

आवेदन/आवेदन प्राप्ति का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।

L. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है।

- i. 10^{वीं} / मैट्रिकुलेशन / माध्यमिक प्रमाणपत्र और अंक पत्र
- ii. एलएमवी और एचएमवी चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस
- iii. अनुभव प्रमाण पत्र
- iv. परीक्षा शुल्क भुगतान रसीद की प्रति, जहां भी लागू हो
- v. अन्य शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र/प्रमाणपत्र, यदि कोई हो
- vi. दावा की गई समकक्ष शैक्षिक योग्यता के संबंध में आदेश/पत्र, जिसमें उस प्राधिकारी (संख्या और तारीख के साथ) का उल्लेख हो जिसके तहत इसे ऐसा माना गया है, यदि कोई अभ्यर्थी किसी विशेष योग्यता को समकक्ष योग्यता के रूप में दावा कर रहा है तो आवश्यक योग्यता में समकक्ष खंड के संबंध में।
- vii. जाति/श्रेणी प्रमाणपत्र, यदि आप छूट प्राप्त वर्गों जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं (जैसा कि अनुलग्नक-I में दिया गया है)।
- viii. भूतपूर्व सैनिकों के लिए:
 - (क) अनुलग्नक-II के अनुसार वचनबद्धता
 - (ख) अनुलग्नक-III के अनुसार सेवारत रक्षा कार्मिक प्रमाणपत्र, यदि लागू हो
 - (ग) सशस्त्र बलों से सेवामुक्त होने पर सेवामुक्ति प्रमाणपत्र/पीपीओ
- ix. यदि आयु में छूट चाह रहे हों तो प्रासंगिक प्रमाण पत्र
- x. यदि आप पहले से ही सरकारी विभाग/सरकारी उपक्रम/स्वायत्त निकाय/सीएसआईआर या इसकी प्रयोगशालाओं/संस्थानों/पीएसयू/स्थानीय निकायों में कार्यरत हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- xi. जो अभ्यर्थी मैट्रिकुलेशन के बाद विवाह, पुनर्विवाह या तलाक आदि के कारण नाम में परिवर्तन का दावा करता है, उसे ऑनलाइन आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे:
 - a. महिलाओं के विवाह के मामले में: पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें नाम दर्शाया गया हो पति-पत्नी का विवाह प्रमाणपत्र या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति या शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ली गई संयुक्त तस्वीर के साथ पति और पत्नी का शपथ पत्र;
 - b. महिलाओं के पुनर्विवाह के मामले में: पहले पति या पत्नी के संबंध में तलाक विलेख/मृत्यु प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो; और वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें पति या पत्नी का नाम हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति या शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ली गई पति और पत्नी की ओर से संयुक्त तस्वीर के साथ शपथ पत्र;
 - c. महिलाओं के तलाक के मामले में: शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत रूप से शपथ ली गई तलाक की डिक्री और डीड पोल/शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति;
 - d. अन्य परिस्थितियों में पुरुष और महिला दोनों के लिए नाम परिवर्तन हेतु: शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ पत्र/डीड पोल और दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों की मूल कटिंग (एक दैनिक समाचार पत्र आवेदक के स्थायी और वर्तमान पते या आस-पास के क्षेत्र का होना चाहिए) और राजपत्र अधिसूचना।

6. कदाचार/अनुचित साधनों के प्रयोग के दोषी पाए गए उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई

उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र भरते समय कोई भी गलत, छेड़छाड़ किया हुआ या मनगढ़ंत विवरण न दें और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी न छिपाएँ। कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा के समय या बाद की चयन प्रक्रिया में या पद पर चयन/नियुक्ति के बाद भी, यदि कोई उम्मीदवार निम्नलिखित का दोषी पाया जाता है (या पाया गया है);

- a. अनुचित साधनों का प्रयोग करना; या
- b. किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण करना या प्रतिरूपण करवाना; या
- c. परीक्षा/कौशल परीक्षण स्थल पर अनुचित व्यवहार करना या परीक्षा/कौशल परीक्षण की सामग्री या उसमें निहित किसी भी जानकारी को पूरी या आंशिक रूप से किसी भी रूप में, किसी भी साधन से—मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक—प्रकटीकरण, प्रकाशन, पुनरुत्पादन, प्रसारण, संग्रहीत करना या इसके प्रसारण एवं संग्रहण में सहायता करना किसी भी उद्देश्य के लिए; या
- d. अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी भी अनियमित या अनुचित तरीके का सहारा लेना; या
- e. अनुचित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करना; या
- f. परीक्षा/परीक्षण स्थल पर मोबाइल फोन या संचार के समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर, ऐसे अभ्यर्थी पर आपराधिक मुकदमा चलाने के अलावा निम्नलिखित भी आरोप लगाए जा सकते हैं:
 - I. जिस परीक्षा के लिए वह उम्मीदवार है, उससे अयोग्य घोषित किया जाएगा
 - II. सीएसआईआर या उसके संस्थान/प्रयोगशालाओं द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा से स्थायी रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए वंचित किया जाएगा:
 - III. यदि वह पहले ही परिषद सेवा में शामिल हो चुका/चुकी है, तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।
- g. सक्षम प्राधिकारी, सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. मामले की रिपोर्ट पुलिस/जांच एजेंसियों को भी कर सकते हैं, जैसा उचित समझा जाए और सक्षम प्राधिकारी संबंधित प्राधिकारियों/फॉरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा मामले की जांच कराने के लिए उचित कार्रवाई भी कर सकते हैं।

एसडी/-
प्रशासन नियंत्रक

NMIL

अ.जा./अ.ज.जा. प्रमाण पत्र हेतु प्रारूप

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* _____
पुत्र/पुत्री _____ गांव/कस्बा* _____
जिला/मंडल * _____ राज्य/संघ शासित प्रदेश* _____ जाति/जनजाति
_____ से संबंधित हैं जिसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 _____

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 _____

संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951 * _____ संविधान

(अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951* _____

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित।

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 _____

संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन अधिनियम), 1976* द्वारा संशोधित।

संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962।

संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@।

संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964@

संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967@

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968@

संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968@

संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश 1978@

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश 1978@

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश 1989@

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990@

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश 1991@

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश 1996@

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002@

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002@

संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002@

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2007@

%2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उन व्यक्तियों के मामले में लागू जो किसी एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवासित हुए हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती _____, श्री/श्रीमती/कुमारी* के पिता/माता को जारी किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है, जो गांव/कस्बा* _____ जिला/मंडल* _____ राज्य/संघ शासित प्रदेश* _____ के हैं और जो _____

जाति/जनजाति से संबंधित हैं जिसे राज्य/संघ शासित प्रदेश* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो _____ दिनांक _____ द्वारा जारी किया गया है।

%3. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ और/या _____ * _____ उनका/उनकी _____ परिवार सामान्यतः _____ राज्य/संघ शासित प्रदेश _____ के _____ जिला/मंडल* _____ केगांव/कस्बे* _____ में रहते हैं।

हस्ताक्षर _____

** पद का नाम _____

(कार्यालय की मुहर के साथ)

स्थान _____

दिनांक _____

* कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं होते

@ कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश उद्धृत करें

% जो पैराग्राफ लागू न हो उसे हटा दें।

नोट: यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः निवास करते हैं (निवास करते हैं) का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

**** जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:**

- I. जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वेतनभोगी मजिस्ट्रेट/उप-मंडल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट।
- II. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
- III. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हों।
- IV. उस क्षेत्र के उप-विभागीय अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

टिप्पणी: तमिलनाडु राज्य के वे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग से संबंधित हैं, उन्हें केवल राजस्व प्रभागीय अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

भूतपूर्व-सैनिकों द्वारा दिया जाने वाला शपथ-पत्र

मैं , जिसका रोल नंबर है,
..... परीक्षा, 20..... के दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित हो रहा हूँ,
इसके द्वारा वचन देता हूँ कि:

- मैं समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा एवं पद नियम, 1979 में भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को स्वीकार्य लाभों का हकदार हूँ।
- मैंने पूर्व-सैनिकों को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रदान किए गए आरक्षण के लाभ लेने के बाद सिविल क्षेत्र में (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त/वैधानिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक आदि शामिल हैं) समूह 'ग' और 'घ' के नियमित पदों पर नियुक्ति नहीं ली है; या
- मैंने सिविल में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने को के कार्यालय में के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। मैं एतद्वारा वचन देता/देती हूँ कि मैंने वर्तमान सिविल रोजगार में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, उपर्युक्त परीक्षा, जिसके लिए मैंने आवेदन किया था, के लिए आवेदन की तिथिवार विस्तृत जानकारी के बारे में अपने वर्तमान नियोक्ता को स्व-घोषणा/वचन-पत्र प्रस्तुत कर दिया है; या
- मैंने सिविल सेवा में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने के कार्यालय में के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। इसलिए, मैं केवल आयु-छूट का पात्र हूँ;
मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त कथन मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता/समझती हूँ कि किसी भी स्तर पर कोई भी जानकारी असत्य या गलत पाए जाने की स्थिति में, मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति रद्द/समाप्त की जा सकती है।

हस्ताक्षर :

नाम :

रोल नंबर :

दिनांक :

सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि :

सेवा-मुक्ति की तिथि :

अंतिम यूनिट/कोर :

मोबाइल नंबर :

ई-मेल आईडी :

सेवारत रक्षा कार्मिकों हेतु प्रमाण-पत्र

मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे अभिलेखों के अनुसार क्रमांक (संख्या)
पद (रैंक), नाम

अपने सशस्त्र बलों में निर्धारित कार्यकाल की अवधि को दिनांक

को पूर्ण करने वाले हैं।

(कमांडिंग ऑफिसर के हस्ताक्षर)

कार्यालय मुहर

स्थान:

दिनांक:

NMIL



CSIR-National Metallurgical Laboratory
(Council of Scientific & Industrial Research)
Jamshedpur-831007

Application form for the post of Driver against the Advt. No. 06/2025

Last date for receipt of duly filled in hardcopy of applications: 18.12.2025 (Thursday)
upto 17:45 hours)

Post Code: D-1

Name of the applicant (In block letters)		Kindly paste a passport size colour photo (not more than three months old)
Date of birth (as per 10 th certificate)		
Sex (M/F/Others)		
Marital status (Married/Unmarried/ widowed/judicially separated)		
Whether PwBD	Yes / No; if yes, Percentage of disability: Type of disability: Certificate No. & date: Certificate issuing authority:	
Category (SC / ST / OBC / EWS/UR)		
Whether Ex-serviceman	Yes / No; if yes, Date of entry in to service: Date of discharge: Designation last held: PPO No. & date: Whether already secured Govt. employment in a seat reserved for Ex-SM: Y/N	
Whether CSIR employee	Yes / No; if yes, Designation: Place of Posting:	
Father's / husband's name		
Mother's name		
Permanent Address		
Address for correspondence		

Signature of the candidate

e-mail	
Mobile No.	

Education Qualification (10th / Matriculation onwards)

Exam passed / Degree / Diploma	Years of passing	Board / Council / University / Institute	Subject (s) studied	Percentage of marks

Details of Driving License (Must be valid for driving both HMV and LMV):

No.	Date of issue	Date till valid	Issuing authority	District & State where issued

Experience of driving:

Name and full address of the employer	Whether permanent or temporary or part time	Pay per month	Duration		Drove LMV or HMV or both	Drove Passenger vehicle or good vehicle or both
			From	To		

Whether the applicant has knowledge of motor mechanism and will be able to remove minor defects in vehicle: Yes / No

Other experience / work details, if any:

Name and full address of the employer	Whether permanent or temporary or part time	Pay per month	Duration		Name of the Post held / holding	Duties performed / performing
			From	To		

Whether any close relative in CSIR / CSIR-NML or any other Lab / Institute of CSIR: Yes / No

If yes, kindly provide the following information:

Name of the relative	Post in which working	Lab / Institute	Relation with the applicant

Examination fee payment details:

Amount paid:

Date of payment:

Ref/Receipt No.:

Any other relevant information:

Declaration by applicant

I hereby declare that the information furnished by me in this application form is true and correct to the best of my knowledge. I understand that my candidature will be cancelled forthwith in case any of the information furnished by me is found to be false, incorrect or any discrepancy noted during the recruitment process. I understand further that my service will be terminated immediately even after my selection to the post also, in case any discrepancy / malafide is detected, at any time, in the above information furnished by me.

Signature of the applicant

Date:

Place: